

Approximate Quantity
Activity
Cement Sand Aggregate
Bricks (Per)

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद

पत्रांक-डी/0010-954/7010

सेवा में

- श्री. **गणेश द्विवेदी** एवं श्री **अमीत द्विवेदी** पिता-श्री **आर०र०** द्विवेदी
1. आर० सुखाराम श्री **मनीष कुमार सिंह** पिता-श्री **तारकेश्वर प्रो सिंह**,
श्री विहार कालिनी धनबाद ।
2. श्री शम्भूनाथ राय पिता- श्री **जी०र०** राय
श्री आर० सुखाराम श्री **रामनिवास द्विवेदी** पिता-स्व० **दीक्षित रामानन्द द्विवेदी**,
सुभ विहार, धनबाद ।

धनबाद, दिनांक- 30/5/13

आवस्यीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह ळता क्या न०- 897/12-13
 सर्वेची आपके आवेदन पत्रांक- 19.8.13 के समक्य में।

आपके आवेदन पत्रांक संख्या- 10469, 4919
176011112-13, 15061112-13 जमावदी संख्या- **5442, 5393**
 की अधिमांगित प्रति, राष्य एवं रॉ Indemnity bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अग्रसा
 के आलाक से आपके द्वारा प्रस्तुत आवस्यीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी 80डी0 केश न०-897/12-13 के
 नवसे की स्वीकृति प्रक्य निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रद न की गई है।

निदेशानुसार संचित करना है कि **आवस्यीय** योजना न०- **94, 103, 113**
 चोटे न०- **1893, 1788, 1895, 1896** रकम- **91.75** **रु०** की
 ळीग पर स्वीकृत नवसे के अनुसार अनुज्ञापि अधिवना की **अनु० धन** की
 देव-रस्य में न्यायारम के पूर्व निश्चित प्रस में अर्वाहस्ताक्षरी को कार्यारम की ज नतारी उतावक कचयरी।
 स्वीकृत नवसे के अनुसार अधिजम 2 वर्ग में कार्य पूर कर अधिजम के प्राधानों के तहत निर्माण पूरा होने की तिथित जातकरी
 अधिहस्ताक्षर को उतावक कचयरी।

प्रक्य निदेशक के तिथित पूर्णमति के बाव किये गये किस्की भी निर्मात निर्माण को निरमित नही किया जा सकंगा, बरिदक उसे तोडेना
 ही एगनात वेकल्य होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबधित पदाधिकरी को निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करना सुनिश्चिता करेगे। आप स्वीकृत
 नवसे में दर्शाेि नाली से इटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेगे।

माला भवन नियमन के तयरे में आवस्यीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नवसा, स्वता, अधिकार एवं
 दखल का प्रमाण नहीं है।

हिन्य प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नाशा स्वीकृत किया गया है। निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकंगा।।
 जला संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रक्य के लिए आप तय विनयार रहने तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल
 बिल्डिंग कोड के अहत आदेशों निदेशों एवं प्राधानों से स्वतः प्रमाणित करेगे।।

आवेदक द्वारा उपकर के भद में **25%** कुल रक- **2/14700** रकमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक भ्रमणयुक्त
 धनबाद के कार्यालय में जमा करना संय सुनिश्चिता करेगे।

18/5/13
 नगर निदेशक/तकनीकी सदस्य
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
 धनबाद
 28/5/13